

Scheduled Tribe people are not safe in India under this Congress brand of socialism, democratic socialism. The time has come for them to realise that these forces will unite and retaliate and you will see what is going to happen in the future.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at thirty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE RAMPUR RAZA LIBRARY BILL, 1974

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr Naval Kishore.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उप-सभापति जी, शिक्षा मंत्री जी ने जो रामपुर रजा लाइब्रेरी के संबंध में विधेयक पेश किया है उस का मैं समर्थन करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस लाइब्रेरी को जो अपनी जगह महत्व रखते हैं और जो हमारे एशिया में जितनी ओरियेंटल लाइब्रेरीज हैं उन में ताशकन्द को छोड़कर एशिया में नम्बर दो की लाइब्रेरी है, इसमें 15 हजार से ज्यादा उर्दू, परशियन, अरबिक और कुछ हिन्दी के मैनूस्क्रिप्ट हैं। श्रीमन्, मुझे परसनली इस लाइब्रेरी की काफी जानकारी है क्योंकि सन् 1944 से सन् 1950 तक रामपुर मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि नवाब रजा-अली खां अपने जमाने के माने हुए नवाब थे और वे तरक्की पसन्द लोगों में से थे। उन्होंने इस लाइब्रेरी को जो कि एक जमाने से उनके खानदान ने बिल्ड अप की थी, एक अच्छा रूप दिया और उच्च कोटि की लाइब्रेरी इसको बना दिया। इसके अन्दर कुछ मिनिएचर, पेंटिंग भी हैं जो हिन्दुस्तान की किसी लाइब्रेरी में नहीं हैं। जहां

M, B(N)17RSS-7(a)

तब मेरी जानकारी है, 240 के लगभग इसमें अकबर स्कूल मिनिएचर पेंटिंग हैं। शिक्षा मंत्री जानते हैं, यह वह लाइब्रेरी है, जहां अध्ययन करने के लिए लोग यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और दुनिया के कोने-कोने से आते रहते हैं और आज भी आते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही मुनासिब कदम हुआ कि सरकार ने इस लाइब्रेरी को टेक-अप किया और एक नेशनल लाइब्रेरी की शकल इसको दी।

इस सिलसिले में यह बात भी कही गई कि सरकार की इस संबंध में क्या नीति है। शिक्षा मंत्री जी हमें बताएं कि जिस प्रकार से खुदा बक्श लाइब्रेरी बिहार में उन्होंने ली उसी प्रकार से यू० पी० में यह रजा लाइब्रेरी भी उन्होंने ली, श्री दौलत राम जय राम दास जी ने एक बात कही कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि पुरानी रियासतों में जब यहां राजा-महाराजा थे, उनके यहां कुछ अच्छी अच्छी लाइब्रेरियां थीं और कुछ अन्य व्यक्तियों के पास भी थीं। यदि यह संभव न हो कि हम इन सभी को नेशनल स्टेटस दे पायें, लेकिन यह तो हो ही सकता है कि इन लाइब्रेरीज में से एक या दो को कम्पाइन करके नेशनल लाइब्रेरी के रूप में बनाया जा सकता है। सिन्हा साहब के पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखें कि अगर वहां का मैनेजमेन्ट इस बात के लिए तैयार है कि उसको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट टेक-ओवर कर ले तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

एक सवाल यह भी उठाया गया है कि इसमें दो लाइफ मेम्बर हैं—एक वाइस-चैयरमैन सैयद मुरतजा रजा अली खा और दूसरे कर्नल बी० एच० जैदी। इस बिल के एम्स एण्ड औब्जेक्ट्स में भी यह बताया गया है कि जो ट्रस्टीज का बोर्ड है, उसके मुरतजा साहब चैयरमैन हैं। रामपुर के जो नवाब थे, सैयद रजा अली खां, उनके ये बड़े बेटे हैं और उनकी खाहिश के

[श्री नवल किशोर]

मुताबिक ही इस विधेयक में इनको लाइफ मेम्बर बनाया गया है श्री जेदी वहाँ के मुख्य मंत्री रहे हैं और उसको बनाने में उनका भी हाथ रहा है। इस विधेयक के बारे में यह शंका की गई है कि इन दोनों मेम्बरों के बाद क्या होगा। मैं समझता हूँ कि इसके मायने यह है कि ये दोनों मेम्बर जब तक जिन्दा हैं तब तक ये इसके मेम्बर रहेंगे और इनके बाद ये दोनों स्थान खाली हो जाएंगे और मेम्बरों की तादाद घट जाएगी।

SHRI BHUPESH GUPTA: On a point of order. Mr. Naval Kishore is not speaking from his seat.

SHRI RABI RAY: He has joined the Congress.

श्री राजनारायण : कौन-सी कांग्रेस ?

SHRI NAWAL KISHORE: My difficulty is that the information that goes to Mr. Bhupesh Gupta is rather late and that too through Mr. Ray and then all of a sudden he wakes up.

राजनारायण जी पुछना चाहते हैं : कौन सी कांग्रेस ? जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इतना तो आपको भी दिखायी देता है। इतना तो आप देख रहे हैं जहाँ से मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। इसका क्या मतलब है यह आप भी जानते हैं।

श्री राजनारायण : कभी आप यहाँ से खड़े होते हैं, कभी वहाँ से खड़े होते हैं। फिर यहाँ आ जाएंगे। कभी इधर कभी उधर।

श्री नवल किशोर : मैं इस विधेयक पर बोल रहा था। राजनारायण साहब ने जो बात कही, कभी इधर कभी उधर, तो श्रीमन्, कलकत्ता में एक कहावत है कि वहाँ जो व्यापारी हैं उनकी दुकान बन्द नहीं होती, सिर्फ उनकी तख्ती बदल जाती है। इस तरह राजनारायण जी की दुकान यद नहीं होती है लेकिन उनकी जिदगी में कितने तख्ते बदले इसका पता राजनारायण जी को होगा या हमको पता है।

श्री राजनारायण : जिस काम के करने से इन्दिरा जी की सरकार का नाश हो वही काम मैं करता हूँ।

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, इन्दिरा सरकार का नाश हो न हो लेकिन जिस गुट में राजनारायण पहुँच जाते हैं उसका नाश जरूर होता है। इन पर यह कहावत लागू होती है कि—

“जहाँ जहाँ पड़ें कदम शरीफा,
वहाँ रहे रब्बी न खरीफा।

तो यह बात तो है।

श्री राजनारायण : इसका जवाब दूंगा करारा।

श्री नवल किशोर : देखिए, जवाब मेरे पास भी है। हम और आप सन् 1952 से एक दूसरे को खूब जानते हैं।

श्री राजनारायण : मगर आप सन् 1952 से रूलिंग पार्टी में थे और हम सन् 1952 से असेम्बली में विरोधी दल के नेता के रूप में रहे। दोनों में फर्क समझना चाहिए।

श्री नवल किशोर : 22 साल तक कोशिश करने के बाद भी मिस्टर राजनारायण नाकामयाब रहे। अलबत्ता एक दफा उनके हाथ में मौका लग गया था उत्तर प्रदेश में जब चौधरी साहब की एस० वी० डी० मिनिस्ट्री में, लेकिन उसको भी उन्होंने गिरा दिया।

श्री राजनारायण : आपके साथ चन्द्रभानु गुप्त ने जो उदारता दिखायी आपने तो उनके छुरा भोंक दिया।

श्री उपसभापति : देखिए इस बात को मत कीजिए क्योंकि आप कितनों के पेट में छुरा भोंक दिए हैं, इसको वे कहने लगे, तो कहीं अंत नहीं होगा।

श्री राजनारायण : आप श्रीमन्, जानते हैं मेरी आदत ही नहीं है ऐसी बातें करने की। यह तो नवल किशोर जी हमसे कहलवाते हैं।

श्री नवल किशोर : राजनारायण को उत्तर प्रदेश में कोई आदमी गंभीरता पूर्वक नहीं लेता।

श्री राजनारायण : गंभीरतापूर्वक ? क्या मतलब है ?

श्री नवल किशोर : मैं तो तुलसीदास जी के शब्दों में कहता हूँ : तुलसी बुरा न मानिए जो राजनारायण कह जायें ।

तो श्रीमन्, एक सवाल उठा कि यू० पी० गवर्नमेन्ट ने अपनी बिल्डिंग किन शर्तों पर दी, क्यों दी ? क्या उसका एग्रीमेंट है ? मेरी मालूमात यह है कि आज भी लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश सरकार की बिल्डिंग में है । जब रामपुर स्टेट का मजूर हुआ था तो स्टेट की सारी प्रापर्टी उसकी तमाम एसेट, उसकी तमाम लाएबिलिटिज भी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास ही गई थी । और यूं भी, अगर किसी प्रदेश के अंदर नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना हो, तो वहां की सरकार अगर अपनी एक बिल्डिंग उसको दे दे तो मैं समझता हूँ इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

श्रीमन्, यह एक छोटा सा विधेयक था । इसमें एक पौइन्ट यह उठा था कि एक केन्द्रीय बोर्ड क्यों न बन जाए तमाम लाइब्रेरीज का । मैं समझता हूँ, यह एक अच्छा सुझाव है । मगर उस बोर्ड के बनने के बाद भी जो इंडिविजुअल लाइब्रेरीज हैं उनके इंतजाम के लिए चाहे मैनेजिंग कमेटी कहिए, चाहे मैनेजिंग बोर्ड कहिए, वह भी गवर्नमेन्ट को बनाना ही होगा । तो इसमें भी आपस में कोई कांफ्लिक्शन नहीं है । इस विधेयक के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात थी, वह यह कि एक लाइब्रेरी जो उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण थी, उस लाइब्रेरी को आज एक नेशनल स्टेटस दे दिया गया । इसकी मुझे खुशी है और मैं चाहता हूँ इस तरह की जो भी लाइब्रेरीज हो, इंडिविजुअली या जॉइंटली, जहां जहां भी हमको आर्ट्स की चीजें, मैनुस्क्रिप्ट्स या पुरानी किताबें मिल सकें, उनको इकट्ठा करके हमें अपनी नेशनल लाइब्रेरीज को मजबूत करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैंने आपके द्वारा एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी से कल यह चाहा था कि उत्तर-प्रदेश की जो सम्मति है, लिखित रूप में, कृपा करके उसकी प्रति हमें दे दें, क्योंकि देखा जाए इसका उद्देश्य और कारण । इसके उद्देश्य और कारण में मुख्यतया यह बात लिखी है इन कारणों से न्यासियों तथा उत्तर प्रदेश की सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि लाइब्रेरी का प्रबंध, संसद के एक अधिनियम के अधीन बनाए गए निकाय को सौंपा जाए । तो जो विधेयक, जो बिल, उत्तर प्रदेश की सरकार के परामर्श से, और जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट की राय से आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय के पास इस विधेयक से संबंधित जो कागजात उत्तर प्रदेश की सरकार के हैं, वे कृपा करके हमको दें ।

क्योंकि आप संसदीय प्रथा को जानते हैं कि विधेयक से सम्बन्धित जितने भी पेपर्स होते हैं उनकी आवश्यकता संसद के सदस्यों को होती है और उन कागजातों को उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिये । एक नहीं, अनेकों प्रॉक्जेन्स आये हैं जब कि कागज के न होने की वजह से विधेयक पर चर्चा बन्द कर दी गई क्योंकि मंत्री जी ने पेपर्स देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी । इसलिए मैं आपके द्वारा यहां पर पुनः व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि मंत्री जी के पास उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई लिखित राय है या ट्रस्ट के सदस्यों की कोई लिखित राय है या नहीं है ? उनकी राय पर ही यह विधेयक आधारित है, तो मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ ।

श्री उपसभापति : आप बोलिये ।

श्री राजनारायण : इसमें व्यवस्था हो जाये ।

श्री उपसभापति : आपने मांग की है, मगर शायद उनके पास है नहीं ।

श्री राजनारायण : अब देखा जाय । अगर हमें कागज नहीं मिलते हैं तो फिर इस विधेयक

[श्री राजनारायण]

पर बहस बन्द होनी चाहिये। अगर कागज आ जाते हैं, तो फिर बहस होनी चाहिये। जो संसद का नियम है, वह यह कहता है कि विधेयक से सम्बन्धित चो पेपर्स हैं, अगर सरकार उनको नहीं देती है, तो उस विधेयक पर चर्चा बन्द होनी चाहिये।

श्री उपसभापति : आप कंसन्ड पेपर्स किस को कहते हैं ?

श्री राजनारायण : हम नहीं कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है।

श्री सभापति : वह तो मंत्री जी अपने जवाब में दे देंगे।

श्री राजनारायण : जो लिखित सहमति है उसका अर्थ शिक्षा मंत्री जी ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हम जो अर्थ समझ रहे हैं, उसके मुताबिक इस विधेयक पर समुचित रूप से और सच्चाई के साथ बहस नहीं हो सकती है। अब आप जो आज्ञा दें। यह चीज यहां पर रिकार्ड होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई राय नहीं है क्योंकि हमने मंत्री जी को लिखकर दिया था कि वे इस राय को हमें लिखित रूप से दे दें। मंत्री जी ने आज तक हमें यह चीज नहीं दी है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें। मंत्री जी यदि चाहें तो इसको एक प्रवर समिति को भेज दें। वे खुद अपनी ओर से इस तरह का प्रस्ताव कर सकते हैं कि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहती है ताकि वहां पर इसके पक्ष और विपक्ष में अच्छी तरह से विचार हो सके।

श्रीमन्, मुझे जितनी जानकारी है उसकी बुनियाद पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर केन्द्र के हाथ में यह लाइब्रेरी आ जायेगी, तो जो कुछ वहां पर है, वह भी नहीं रह जायेगा। श्रीमन्, आपके सामने बहुत सी जानकारी आई होगी। हमारे जो पुराने मानूमेन्ट्स हैं, जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं, जैसे देवगढ़ का है जो कि उत्तर प्रदेश

और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, यह एक बहुत ही पुराना प्राचीनतम मंदिर है और केन्द्र सरकार की संरक्षणता में है। हमने यह देखा है कि जब से यह मन्दिर केन्द्र सरकार की संरक्षणता में आया है तब से देवगढ़ में एक भी मूर्ति पूर्ण नहीं बची है किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सिर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है और किसी का पांव कटा हुआ है।

आपको मालूम है कि एक जर्मन दार्शनिक यहां पर आये थे और वे देवगढ़ गये थे। वहां पर जो उन्होंने मूर्तियां देखी उनके आधार पर उन्होंने हेयर स्टाइल नामक एक छोटी सी पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने बतलाया है कि जैनियों के बाल सजाने की जो व्यवस्था है, वह दुनिया में सर्वोत्तम है। हमारी सारी की सारी कला आज वहां नष्ट हो गई है। हमारे यहां मूर्तियों की चोरियां जिस ढंग से हो रही है उन जगहों से जो केन्द्रीय सरकार की संरक्षणता में है, जिसकी आए दिन अखबारों में चर्चा होती है, क्या गारन्टी है कि केन्द्र की सरकार के पास अगर यह लाइब्रेरी आ जायेगी तो इसकी सुरक्षा और ज्यादा अच्छी तरह से होगी ?

श्रीमन्, वाराणसी में आपने जीवन के कुछ साल बिताए हैं। क्वीन्स कालेज का नाम आप जानते होंगे। क्वीन्स कालेज संस्कृत का प्राचीनतम कालेज है, जहां संस्कृत की पढ़ाई आदि काल से होती है। जब से वह विश्वविद्यालय बना है वहां संस्कृत की एक पुरानी किताब नहीं रह गई है, सारा का सारा मामला साफ है। जो पुरानी हस्तलिखित चीजें थीं वे आज क्वीन्स कालेज में नहीं रह गई हैं। लोग जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की तरफ से एक बुढ़िया आई थी। वह प्रधान मंत्री साहिब का फाटक पर गई उसने कहा कि प्रधान मंत्री जी को बुलाइए, मैं उनके दर्शन करने आई हूं, हमारी कमर में बड़ा दर्द है। तमाम सन्तरियां ने कहा तुमको नहीं जाने देंगे। तब उसने कहा कि उनको यहां बुलाइए। प्रधान मंत्री महोदया आई और उन्होंने पूछा क्या

है। उसने कहा कि हमारी कमर में बड़ा दर्द है। प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि इनको ले जाओ डाक्टरों के पास ताकि अच्छी दवा कर दें। उन्होंने कहा कि डाक्टरों की दवा से हमारी कमर का दर्द नहीं जायगा, आपके हाथ में खूबी है, जहां आप हाथ रख देती हैं वहीं चीज साफ हो जाती है, आपने 14 बैंकों पर हाथ रखा सारा मामला साफ, आपने कोयला खदान पर हाथ रखा—साफ, आपने चीनी पर हाथ रखा—साफ, आपने सीमेंट पर हाथ रखा—साफ, आप हमारी कमर पर भी हाथ रख दीजिए ताकि हमारी कमर का दर्द भी साफ हो जाय। एक बात मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से कह दूँ कि अगर यह लाइब्रेरी केन्द्र के हाथ में गई तो लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वे भी साफ हो जायेंगी। देखा जाय रामपुर रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में है। हमारे मित्र नरूल हसन साहब से हमारा परिचय आज का नहीं है, हमारा परिचय 40 साल पहले हुआ था। 15 हजार हस्तलिखित और 40 हजार छपी हुई पुस्तकें इसमें है। इसके अलावा इसमें अनेक मूल्यवान सूक्ष्म रंगचित्र तथा कलाकृतियां भी हैं। कौन नहीं जानता है कि जब बिहार में दरभंगा में चुनाव हो रहा था श्री रामसेवक यादव और पंडित ललित नारायण जी मिश्र का उस समय पोलैंड की सरकार को तीन लाख रुपए की कला वस्तुएं बेची गईं और जितने कम्युनिस्ट कट्टीज हैं उनको मैथिल कला कह कर बेच दी गई। अब क्या गारन्टी है कि अगर नरूल हसन साहब के अधिकार में लाइब्रेरी की तमाम सम्पत्ति, लाइब्रेरी की तमाम किताबें रहेंगी तो वे सब कम्युनिस्ट कट्टीज के हाथ में नहीं दे दी जायेंगी? यह मेरा डर है। इसलिए मैं निर्भीकता के साथ आज अपनी आवाज को इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूँ।

जरा देखा जाय, इस समय जो वहां पर ट्रस्ट है उसमें कितने जिम्मेदार लोग हैं। 6 अगस्त 1951 को नवाब सर सय्यद अली रजा बहादुर न लाइब्रेरी के सम्बन्ध में एक न्यास बनाया और सके द्वारा लाइब्रेरी के कामकाज के प्रबन्ध के

लिए व्यवस्था की। इस समय लाइब्रेरी का प्रबन्ध एक न्यासी बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अध्यक्ष हैं रामपुर के पिछले नवाब श्री सय्यद मर्तजा अली खां। जहां तक मेरी जानकारी है वे कांग्रेस पार्टी में है। इसके सदस्य हैं कर्नल बी० एचद जेदी। जेरी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, हमारे इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। कर्नल जेदी को कौन नहीं जानता। उनके अलावा भारत सरकार के एक नामिनी हैं और उत्तर प्रदेश के दो नामिनी हैं। यह देख लिया जाय कि इसका जो ट्रस्ट है उसमें कितने जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे जिम्मेदार लोगों के हाथ में जब इस लाइब्रेरी की व्यवस्था है, उसका मैनेजमेंट है तो शिक्षा मंत्री महोदय या भारत सरकार के दिमाग में यह बात क्यों आई कि भारत सरकार के तहत केन्द्र के तहत इस चीज को लाया जाय और केन्द्र से, पार्लियामेंट से कानून बनवाये और कानून बनवा कर इस लाइब्रेरी का इंतजाम अपने मनमाने ढंग से चलाये। श्रीमन्, आप देखेंगे कि लाइब्रेरी के हस्तलेखों, पुस्तकों और कलाकृतियों का महत्व, उन की प्राचीनता और उन की महत्ता बहुत बड़ी है। इस बात को यह खुद लिखते हैं। तो जिस का महत्व इतना व्यापक हो, जिस के अंदर इतनी कलाओं का समावेश हो उस को ऐसे गंदे हाथों में दे देना कि जो सब कुछ लीपापोती कर के बर्बाद कर रहे हों यह काम कोई समझदार आदमी कैसे कर सकता है। श्रीमन्, मैं सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में प्रसांगिक रूप से यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी केन्द्र के हाथ में जाता है वह चाहे कोई ट्रस्ट हो या कोई वक्फ हो, उस की व्यवस्था को देख लिया जाय और उस की व्यवस्था को देख खने के बाद तब इस के बारे में आगे कोई चर्चा की जाये। हमारे पास पूरी जानकारी है, मुझे पता चला है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का एक सम्मिलित वक्फ है और यह 1907 में बना था। दूसरा बोर्ड 1965 में बना है जिस के चेयरमैन तैयब हुसैन साहब थे। सितम्बर 1970 को इस बोर्ड का समय समाप्त हो गया। इस बोर्ड के खिलाफ

[श्री राजनारायण]

हरियाणा के मिनिस्टर खुशीद अहमद ने 43 आरोप लगाये हैं। इस पर श्रीमन्, तमाम सैकड़ों, सैकड़ों मुसलमान नेताओं के हस्ताक्षर हैं और तमाम मुसलमान नेताओं ने एक राय से इस मेमोरेंडम को सविट किया है प्रधान मंत्री महोदया के पास। इस में देखा जाय कि 2 अप्रैल, 1973 की लोक सभा की कार्यवाही के पृष्ठ 5676 पर उत्तर दिया गया है, उत्तर दिया है माननीय कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने कि 9 लाख 62 हजार 833 रुपया 32 पैसे इंडियन बैंक, दिल्ली में हरियाणा के स्टेट बैंक आफ इंडिया से निकाल कर जमा किये गये। मैं जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के बैंक का रुपया 9 लाख निकाल कर दिल्ली में क्यों लाया गया? इस का कारण क्या था? इस के पीछे कोई राज है। श्रीमन्, फिर 1970 से 1973 के बीच, तैयब हुसैन साहब ने अपने वाप चौधरी यासीन के नाम पर यासीन ब्राह्मो हाई स्कूल और डिग्री कालेज के लिए 3,72,500 रुपया इमदाद के नाम से दिया है। वह कब और किस को दिया है, 35 हजार रुपया यूनस सलीम साहब को 15 अगस्त 1969 को अहमदाबाद दंगाग्रस्त लोगों की इमदाद के लिए दिया गया। इस सदन में सरकार का जवाब है कि एक पैसा भी दंगाग्रस्त क्षेत्रों में नहीं बांटा गया और जो ट्रस्ट है उसने मस्जिदों को किराये पर दे कर रुपया कमाया है। यह वह वक्फ है जिसके इंचार्ज हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अब कोई कह दें कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब गैर जिम्मेदार हैं। यह बात हम कैसे मानेंगे। वह कृषि मंत्री रहे हैं। अभी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं और उनके हाथ में यह जो ट्रस्ट है उसके लिए तमाम मुसलमानों ने पंजाब के, मालेर-कोटला के, हरियाणा और पानीपत के, हिमाचल के यह मांग की है कि तैयब हुसैन साहब और उनके साथियों को जिन्होंने मस्जिदों को किराये पर दिया है उस को समाप्त किया जाय।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How does it have any relevance to this?

श्री राजनारायण : मैं रिलीवेंस के लिए केवल यह बताना चाहता हूँ कि . . .

SHRI F. H. MOHSIN: Sir, on a point of order. These matters are yet pending in the High Court and people have filed writ petitions on these matters. When the matter is pending before the High Court it is not proper for the hon. Member to refer to it because the matter is *sub judice*.

3 P.M.

श्री राजनारायण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया, न्यू देहली, उनके पास यह मेमोरेंडम दिया गया है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। उसकी कापी दीक्षित जी के पास, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास भेजी गई है। (Interruption) तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह वक्फ जो केन्द्र के मातहत आया है, पहले जब पंजाब एक था तो स्टेट के अन्दर वह वक्फ था, सारी व्यवस्था थी। . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He says that it is *sub judice*. Now, please refer to the Bill.

श्री राजनारायण : जब पंजाब 3 सूबों में बंट गया। . . .

श्री रणवीर सिंह : पंजाब का सवाल कहाँ से आ गया ?

श्री राजनारायण : बार बार मांग करने के बावजूद भी वह केन्द्र में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बोर्ड बने हुए हैं उनका सर्वनाश करके शिक्षा मंत्री महोदय अपने हाथ में लेना चाहते हैं और सरकार वहाँ की बारीकियों को, खूबियों को, व्यवस्था को नष्ट और भ्रष्ट करना चाहती है। इसलिये श्रीमन्, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आप माननीय मंत्री जी से कहें कि संसदीय परंपरा की रक्षा के लिये, इसके गौरव को बढ़ाने के लिये, इसकी मर्यादा को कायम रखने के लिये सफाई के साथ उनसे कहें कि जब तक उत्तर प्रदेश की ऐम्बली से राय न ले ली जाए, वहाँ के बोर्ड के विचारों से सरकार अवगत न हो

तब तक उसको मनमाने तरीके से, डिक्टेटोरियल तरीके से, तानाशाही तरीके से और अधिनायक-शाही तरीके से इस विधेयक को लाने की विशेष कृपा न करें। मैं पुनः ताकत के साथ कहना चाहता हूँ कि श्री नूरुल हसन साहब इस मुल्क को कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश न करें श्री नूरुल हसन साहब इस देश का जो गौरव है, इसकी जो प्रतिष्ठित मान्यतायें हैं उनको नष्ट करने की कृपा न करें। इस लाइब्रेरी को जिस ढंग से यह चल रही है, चलने दें। अगर उसमें कोई कमी हो, खराबी हो तो जरूर उसका सुधार करें, उसको ठीक से चलने दें अगर उसको रुपये की जरूरत है तो केन्द्र सरकार जो उसको देना चाहती है उसको दे। राज्य सरकार को रुपया दो, राज्य सरकार से कहो कि इस ट्रस्ट को जिसमें आपके नुमाइंदों ज्यादा है ठीक तरीके से चलाओ। रुपये की कमी हो तो वह केन्द्र सरकार दे, उस लाइब्रेरी को समुन्नत करने के लिये, उसको ठीक करने के लिये, उसमें ज्यादा से ज्यादा आधुनिकतम विज्ञान की किताबों को लाने के लिये और साइंस को लाने के लिये जो केन्द्र मदद दे उसके लिये हम उसको मुबारकबाद देंगे। उसको पैसा देना अलग बात है और उसका सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना अलग है। कोई भी लाइब्रेरी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है तो सीधे सीधे यह केन्द्र की अधिनायकशाही और ताना-शाही मनोवृत्ति का द्योतक है।

इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार को सद्बुद्धी आये और माननीय मंत्री जी खुद कहें कि हम इसको प्रवर समिति में ले जायेंगे और वहां ले जाकर इस पर अच्छी तरह से विचार करके इसको लायेंगे।

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, हमारे देश में अच्छी लाइब्रेरियों की बेइंतहा कमी है और यह मानी हुई बात है कि एक अच्छी लाइब्रेरी हमारे समाजी जिन्दगी, तालीमी जिन्दगी के लिये कितनी जरूरी है और कितनी अहम है और ज्ञान और विज्ञान लाने के लिये और रिसर्च करने वालों के लिये इसकी

कितनी जरूरत है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का यह बिल पेश करके हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा और मुफीद कदम उठाया है और इनकी नीयत पर शुबहा करना एक बड़ा पाप है। एक अच्छे काम को बुरा बतलाना महज पाप नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।

इसके अलावा, सबसे ज्यादा मैं इस चीज पर जोर दूंगा कि हमारी सरकार ने 25 साल ले लिये इस अच्छे कदम को उठाने के लिये। जरूरत तो यह थी कि इस कदम को आज से 25 साल पहले ही उठाना चाहिये था ताकि इस लाइब्रेरी पर जो 25 साल का जमाना गुजरा, 25 साल की मुसीबतें गुजरी, वह न गुजरतीं और वह जो 25 साल में अपने किताबों के भंडार में इजाफा न कर सकी, वह अपनी इन मुश्किलों से नज़ात पाती।

जैसा कि बिल में लिखा है कि लाइब्रेरी के अन्दर 15 हजार मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, 40 हजार से ऊपर हिन्दी, उर्दू, फारसी और अरेबिक की जो किताबें हैं, नायाब किताबें हैं। ऐसी किताबें हैं जो किसी लाइब्रेरी में नहीं मिल सकतीं।

मेरा अपना तर्जुबा है कि इस लाइब्रेरी में बहुत से रिसर्च स्कालर दूर-दूर के मुल्कों से आते हैं। इससे फायदा उठाते हैं और फायदा उठा कर जो रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद जो किताबें लिखी हैं वह मकबूल हुई हैं। वे कुछ ऊँचे स्तर की किताबें हैं, आला किस्म की किताबें हैं। मैं समझता हूँ कि इस लाइब्रेरी के साथ बहुत ही नाइन्साफी करके किसी तरह का शक, शुबह करें, यह समझें कि इस लाइब्रेरी को, इस कानून के पास होने के बाद किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा, या इसकी किताबों को नुकसान पहुंचेगा, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह हमारी कौमी सम्पत्ति है और सरकार और जनता कभी भी इस को बरबाद नहीं होने देगी और न किसी ऐसी लाइब्रेरी को बरबाद होने दिया है। खुदाबख्श लाइब्रेरी की मिसाल हमारे सामने है। जो कुछ वहां हुआ है वह आपने देखा है। यह हो सकता है कि जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं उनका सरकार अपने कब्जे में ले, उनके

[श्री खुरशीद आलम खान]

लिये कानून पास करे। सिन्हा लाइब्रेरी जो है शायद वह भी अच्छी लाइब्रेरी है उसके लिये भी कानून पास किया जा सकता है, उसके लिये भी तरमीम लाई जा सकती है।

रजा लाइब्रेरी और खुदाबख्श लाइब्रेरी, ये दो लाइब्रेरी ऐसी हैं जिसमें ओरिएंटल स्टडी आरिएंटल रिसर्च के लिये शायद बेहतर नया मैटीरियल है और ऐसा मैटीरियल दूसरी जगहों में नहीं मिलेगा। इन लाइब्रेरीज में काम करने वाले हमारे मुल्क के नहीं हैं, बाहर के मुल्क से आते हैं। जब वे यहां से काम करके जायेंगे—यकीनन न सिर्फ मुल्क के आदमी माहौल को फायदा पहुंचेगा बल्कि हमारी दोस्ती के ताल्लुकातों में भी इजाफा होगा। यह दोस्ती बढ़ाने का जरिया बन सकता है।

बारबार यह कहा गया है कि इसका बोर्ड जो बना है इसके अन्दर दो ऐसे लायक मैम्बर रखे गये हैं कि उनके जाने के बाद क्या होगा समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि उन लायक मैम्बरों ने इस लाइब्रेरी की बड़ी खिदमत की है, उसकी बड़ी सेवा की है। इसमें किताबें जमा करने में बड़ी मदद की है। उनकी मौजूदगी, उनकी कंटीनुएसी बोर्ड के लिये मुफीद हासिल हो सकती है। इस बिल के अन्दर आगे चल कर तरमीम हो सकती है। उनके जाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि हम फिर कोई लायक मैम्बर मुकर्रर करें बल्कि कोई आडिनरी दो मैम्बर उनकी जगह मुकर्रर किये जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई शक शबह नहीं है।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस लाइब्रेरी में या खुदाबख्श लाइब्रेरी में बहुत से लोग रिसर्च करने आते हैं। रिसर्च करने वाले लोग एक या दो दिन के लिये नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको महीनों रहना पड़ता है। कल किसी साहब ने कहा था कि यहां पर उनके ठहरने, उनके रहने का इन्तजाम होना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार को इस तरफ तबज्जो देनी

चाहिये व इसकी इमारत को कायम रख सकें, वहां उनके ठहरने के लिये, बैठने के लिये, पढ़ने के लिये आराम देह काम हो सके। मैं ऐसे इरादों के लिये जो कौमी सरमाया हैं, कौमी धन है काफी साधन देने चाहियें। जो कुछ थोड़ा सा सालाना ग्रांट मंजूर करने की ओर इशारा किया गया है मैं समझता हूं बकती तौर पर काफी हो और आगे चल कर इसमें इजाफा किया जाए उसको बढ़ाया जाय और उनका ऐसा इन्तजाम करना चाहिये जिससे वे अपनी 25 साल की जिन्दगी में कोई किताब न खरीद सकें। अपनी किताबों में इजाफा कर सकें, अपने मैनुस्क्रिप्ट्स बढ़ा सकें और अपने यहां ऐसी ची ला सकें जिससे लोगों में दिलचस्पी पैदा हो, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा उठा सकें।

इस बिल के अन्दर इसकी भी गुंजाइश रखी गई है कि बोर्ड में ऐसे लोग, जो कि इस पर एक्सपर्ट समझे जाएं या जिनके रहते हुए बहुत सा फायदा उठाया जाए, उनको भी असोसिएट किया जा सकता है। मैं समझता हूं, यह बहुत अच्छी सूरत निकाली गई है ताकि एक्सपर्ट ओपीनियन और एक्सपर्ट लोगों के जरिए से फायदा उठाया जा सके। साथ ही इस बोर्ड को काफी रेस्पेक्ट-बिलिटी दी गई है क्योंकि इसकी अध्यक्षता हमारे यू० पी० के राज्यपाल करेंगे और उनकी मौजूदगी, जाहिर है, इस लाइब्रेरी की साया निशान होगी।

आखिर में मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, इसका इन्तजाम में इस बिल के पास होने के बाद इसमें बेहतरी होगी, इसमें आसानियां होंगी, इसमें और काफी ज्यादा किताबों का इजाफा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकेंगे। अगर हमने यह कदम 25 साल पहले उठा लिया होता तो शायद हम इस लाइब्रेरी को ज्यादा तरक्की दे चुके होते। यह कौमी सरमाया है और कौमी सरमाये में मदद देने के लिये हमें किसी तरह की

कंजूसी नहीं करनी चाहिये, किसी तरह का शक व शुबहा नहीं करना चाहिये। लाइब्रेरी किसी शख्स की जाती मिल्कियत नहीं बल्कि हमें अहसानमंद होना चाहिये कि खानदान ने इस लाइब्रेरी को कौमी मिल्कियत के सुपुर्द कर दिया ताकि कौम के लोग इससे फायदा उठा सकें, इससे ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा पहुंच सके।

इसके अलावा सबसे बड़ी और जरूरी चीज यह है कि इस क्रिस्म की लाइब्रेरियों में जो काम होता है उसमें लोग हमें मदद दें, उसमें ज्यादा से ज्यादा कांस्ट्रिब्यूशन दें, ज्यादा से ज्यादा किताबें दान दें, और अगर इस तरह से हम इसमें मदद करेंगे तो वह फायदा पहुंच सकता है। गैर जरूरी आलोचनाओं से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है, गैर जरूरी शुबहा से इस इदारे को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता, गैर जरूरी क्रीटिसिज्म से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। मैं चाहता हूं, इसमें कोई कांस्ट्रिक्टिव सजेशन दें और उस अगर कांस्ट्रिक्टिव सजेशन को खुलूस के साथ रखा जाएगा तो सरकार को कबूल करने में एतराज नहीं होगा।

मैं इन अलफ़ाज़ के साथ इस विधेयक की, इस बिल की, पुरजोर ताईद करता हूं।

SHRI K. P. SINGH DEO (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, this piece of legislation which has been brought forward seeks to take over the second largest library in Asia, namely, the Raza Library of Rampur. This library is second only to the Tashkent Library. The pay sheet of the library is approximately Rs. 6,000 per month. The U.P. Government pays only about Rs. 48,000 annually. This leaves it with some deficit. Therefore, I think it is a step in the right direction that the Government has come forward with this piece of legislation.

Sir, I must sound a note of caution here. Very valuable manuscripts as well as printed books in Persian, Urdu, Arabic and other books have been preserved since the 18th century by the Nawab of Rampur and his family; it is his personal collec-

tion. In 1964 the Nawab of Loharu had donated his complete collection of about 380—400 manuscripts and about 3,000 printed books which makes it one of the best libraries on Galib. So I would urge on the Government, through you, that not only should they take over the library because of financial difficulties they should pay adequate attention as far as preservation of books, applying modern methods of library science and bringing in better equipment is concerned. This will preserve this very ancient and very rich library for posterity as well as for our people to come in and enjoy the library as well as to gain knowledge. With these words I support the move by the Government to take over the library.

SHRI UMASHANKAR JOSHI (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir I rise to support this Bill. I do not know why there should be any disagreement about such a step. We are very slow in doing the needful in such matters. Yesterday there was a reference to the Bhandars of manuscripts in Western India, the Jain Bhandars in Rajasthan and Gujarat. But the Jain Bhandars are pretty well looked after. The Bhandars in Jaisalmer, Ahmedabad and Cambay have devised methods of preserving the books, protecting them from moisture as well as heat. The only difficulty with those Bhandars is that on the fifth day after Diwali, they worship books and they indiscriminately tear off pieces from the manuscripts and put them before the worshippers. But in the past few decades they have been protected.

I want to say a word about the Persian, Arabic and Urdu manuscripts in Ahmedabad itself. One would be amazed to see the interest evinced by the people of Ahmedabad in this respect. There are so many Kutub Khanas; so many manuscripts and printed books are there and they are not well looked after. So I was very happy and thrilled to know that we would be having a Centrally looked-after library in Rampur, apart from the other two big such libraries in Patna and Hyderabad. I would say that the money that is put at the disposal of this library is a paltry sum, if the library should be asked to go round

[Shri K. P. Singh Deo]
the country and gather manuscripts before they get destroyed. Manuscripts have a way of getting destroyed. If you attend the Sunday Gujarati Mela on the banks of the Sabarmati, you will find manuscripts being sold by weight. So, there should be some agencies to take care of these manuscripts in Ahmedabad. For example, only a hundred years ago, the father of the first modern lyric poet in Gujarati corresponded with his father in Persian, as in the last 75 years people corresponded through the medium of English. Such writings are not taken care of. This library has a good building and, as we can see from the Bill, it will have a good organisation. It can manage to get manuscripts from other parts of the country and preserve them and protect them in a scientific manner.

A point was made that there is already a trust, but we find that the U.P. Government will be concerned with the running of this library in quite an appreciable way. The Collector himself will be there, the U.P. Governor will be there and two outstanding persons who have been taking interest in the running of the library will also be looking after the management of the library. If I have understood the Minister correctly, he said yesterday that this idea was there from 1966 onwards, and it is good that a definite step has been taken. This should be one of the activities that the Ministry should be engaged in. Our country has many languages and we do not possess good libraries. I was told that the library of first edition copies in a particular language is in a certain European country, not in India.

So we have to inculcate this habit of preserving books. If, as an honourable Member has suggested, Centrally administered institutes leave much to be desired, we can request the Minister to see that such things do not recur. Even manuscripts from *bhandars* have found their way to foreign countries. The manuscript of one of the outstanding classics of my language, was sold by a learned man, by a bureaucrat, to the Americans. Such things cannot be helped. We have to create a climate of opinion which thwarts such vandalism. I would plead for many more

such Bills which would tone up the cultural life of our country. One thing that occurs to me is a library of Sindhi books. I wonder if all printed Sindhi books are available in Indian libraries, much less in a single library. There is no particular State which would take care for such a thing. So it is the Centre which will have to help in building up a library where all printed Sindhi books are found. When relations with Pakistan are more amicable, we can approach the learned men and Government across the frontier and benefit from their cooperation.

With these few words I wholeheartedly support this Bill.

PROF. S. NURUL HASAN: Sir, I am extremely grateful to the honourable Members for their contribution and I am gratified that most of the honourable Members who have spoken, have given their support to this Bill. Two or three very important points have been raised and I would venture to take those points up for the consideration of the honourable Members.

The first question that has been raised is regarding the Tanjore Saraswati Mahal Library. It is one of the finest libraries in our country and the Government of India have been keen to declare it to be an institution of national importance. The matter is under discussion with the Government of Tamil Nadu. There were certain suggestions that are being examined by that Government and I hope that it will be possible to bring forward a legislation before this honourable House.

Another point that has been raised is about the other good collections that are in the country and the criterion that the Central Government has in declaring them to be institutions of national importance. I would like to draw the attention of the honourable Members to the relevant Entry in List One of the Seventh Schedule to the Constitution which gives an indication of the limits within which Parliament may legislate. It reads like this — Item 62:

“The institutions known at the commencement of this Constitution as the National Library,..... etc., and

any other like institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance."

So, the ingredients are that this should be wholly or partly financed by the Government of India and secondly it should be declared by Parliament to be an institution of national importance and for that it must qualify for being an institution of national importance and it should be like the institutions which have been mentioned in the relevant Entry earlier.

From this point of view, any library which has a sizeable collection of rare manuscripts, paintings or other rare books would qualify and therefore if any suggestions come to the notice of the Government of India that a certain library may be considered for this purpose, I can assure the hon. House that we will be very glad to give them our most earnest consideration provided this basic criterion is fulfilled.

It has been further suggested that there may be a single board. Usually these collections have been built by individuals or groups of individuals or institutions and each of these libraries and the people who are particularly interested in the welfare of these libraries would like the individuality of these libraries to be maintained. It is for this purpose that separate governing bodies are being proposed.

It has already been clarified that the building in which this library is at the moment situated belongs to the Government of U.P. But as has been suggested further, there has been no confusion on this account.

My hon. and respected friend Shri Jairamdas Daulatram made a reference to the preparation of catalogue of manuscripts for the Rampur Library. I am glad to inform the House that this work is going on and considerable progress has already been achieved in this connection.

Hon. Shri Raha has referred to this institution as the centre of library movement. I am afraid this is a specialised

library dealing principally with manuscripts and for researches which are connected with those manuscripts, a large number of printed books, journals, and photographic copies or other copies of manuscripts elsewhere will be needed. Therefore, this cannot be a part of the general library movement. So far as a general library movement is concerned, I am afraid, it is the responsibility of the State Government concerned. I am not in any way suggesting that a library movement is not absolutely essential for the country. But in terms of the Constitution that is principally the responsibility of the State Governments.

The proposal to provide a hostel is a very good one. I will examine and see what can be done so that a hostel is established. Better preservation and better equipment will naturally have to be provided.

I also agree that not only this Library, but the other Libraries also, principally the National Library, will have to take greater interest in collecting manuscript collections which are scattered in different parts of the country. But some machinery has been set up at the instance of the Indian Historical Records Commission by the various State Governments and these are called the Regional Record Survey Committees. Some of these have done very good work while the others have not done as much work as is possible. I also agree that we have to give attention to the collection of Sindhi books. There is already a section in the National Library and I will pass on the suggestion of the honourable Member to the National Library. We are also, Sir, in the process of setting up a Tulsi Sadan in Delhi in which books published in the various Indian languages will be collected and kept. I will take this suggestion also into consideration for this purpose.

Sir, the first proposal to the Central Government that it may take over this Library was mooted by the Trustee himself, the late Nawab Syed Raza Ali Khan. He made this request to the then Minister of Education, Shri M. C. Chagla in 1965 and from that time, Sir, there has been

[Prof. S. Nurul Hasan]
a great deal of consultation and this consultation, Sir, has been going on amongst the Government of India, the Government of U. P. and the Trustees and this is what has been claimed in the Statement of Objects and Reasons.

Further more, Sir, the constitution of the Board of Governors that has been proposed in this Bill is like this, as the honourable Members would see, that if four persons are to be nominated by the Government of India, four persons are to be nominated by the Government of U.P.

Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to declare the Rampur Raza Library to be an institution of national importance and to provide for its administration and matter connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 29 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

PROF. S. NURUL HASAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

FOURTEENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES FOR THE PERIOD FROM 1ST JULY 1971 TO 30TH JUNE 1972

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Sir, I beg to move the following Motion:

"That the Fourteenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities

for the period from 1st July 1971 to 30th June 1972, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 10th May 1974, be taken into consideration."

Sir, I would like to tell in this connection that our society is a multi-lingual society and the framers of our Constitution have taken into consideration the fact that there are linguistic minorities in every State and their language and culture have to be protected. So, they had made some provisions in the Constitution itself. These provisions are in article 29, article 30, article 347 and article 350. Later on, Sir, by the Constitution (Seventh Amendment) Act of 1956, further amendments were made to the Constitution incorporating therein articles 350 (A) and 350 (B) (1) which have a direct bearing on the safeguards to be provided for the linguistic minorities.

Beyond these constitutional provisions, the Central Ministers and the State Chief Ministers met in August 1961 to consider the point of providing safeguards for linguistic minorities, and they have reached some decisions in the Chief Ministers' conference. Some time later the Education Ministers' Conference was called, and they also reached some decisions about providing safeguards for linguistic minorities.

Sir, even after the formation of States on linguistic basis, it is a question of fact, and the Members are aware, that quite a large number of linguistic minorities are yet living in almost every State, and it is the duty of all States to see that the constitutional provisions are well attended to and the interests of the linguistic minorities are safeguarded. So, in accordance with Article 350B(2) of the Constitution, the office of the Commissioner for Linguistic Minorities was set up in July, 1957.

The main functions of the Commissioner for Linguistic Minorities are to investigate in accordance with the provisions of Article 350B(2) of the Constitution into all matters relating to safeguards provided for linguistic minorities and report to the President upon these matters at such intervals as the President may direct.